का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थिया सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीयान के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः उभय पक्ष को दिनांक 27.03.2024 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं नवीन निर्माण नहीं करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

दिनांक 27.3.24
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थित ... पधारे हैं। उपखण्ड अधिकारी कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.04.24
को पेश हो।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ... रीडर
जवाब प्रा.पत्र पेश किया
नकल दिलाई गई।

01.04.24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं है। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बाबत आदेश प्रा०पत्र T.I. दिनांक 03.04.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा